उत्तर प्रदेश सरकार

वित्त (सामान्य) अनुभाग-2

संख्या-01/2020/जी-2-04/दस-2020-306-2002

लखनऊ : दिनांक 09 जनवरी, 2020

कार्यालय-ज्ञाप

विषय: उत्तर प्रदेश, वेतन समिति (2016) की संस्तुतियों के आधार पर स्थायी मासिक भत्ता (नियत यात्रा भत्ता) की दरों का पुनरीक्षण।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि वेतन समिति (2016) के सातवें प्रतिवेदन की संस्तुतियों के आधार पर लिए गए निर्णयानुसार राज्यपाल महोदय सरकारी सेवकों को वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-3 के नियम-38(1) के अधीन अनुमन्य मासिक भत्ते (नियत यात्रा भत्ते) हेतु कार्यालय-ज्ञाप संख्या-जी-2-407/दस-2012-306-2002, दिनांक 16 नवम्बर, 2012 द्वारा लागू की गयी दरों को निम्नानुसार पुनरीक्षित किए जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

क्र0 सं0	कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 16 नवम्बर, 2012 द्वारा लागू दर (रू0 में)	संशोधित/पुनरीक्षित दर (रू0 में)
(1)	(2)	(3)
1	100	200
2	200	300
3	300	450
4	400	600

2- स्थायी मासिक भत्ता की अनुमन्यता हेतु वर्तमान नियमों एवं आदेशों के अन्तर्गत निर्धारित शर्ते एवं प्रतिबन्ध यथावत लागू रहेंगे ।

3- उक्त विषय पर पूर्व में निर्गत किए गए आदेश उक्त सीमा तक संशोधित समझे जायेगें ।

4- वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-3 के सुसंगत नियम में आवश्यक संशोधन यथा समय किया जायेगा।

5- स्थायी मासिक भत्ते (नियत यात्रा भत्ते) की उक्त पुनरीक्षित दरें तत्काल प्रभाव से लागू होंगी।

भवदीय,
संजीव मित्तल,
अपर मुख्य सचिव, वित्त ।

संख्या-01/2020/जी-2-04(1)/दस-2020-306-2002, तददिनांक,

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार,प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
(2) प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश ।
(3) समस्त अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/सचिव उत्तर प्रदेश शासन ।
(4) निदेशक वित्तीय एवं प्रबन्ध, प्रशिक्षण शोध संस्थान, लखनऊ ।
(5) उत्तर प्रदेश सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
(6) समस्त मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।

भवदीय,
सरयू प्रसाद मिश्र,
विशेष सचिव, वित्त।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in